

जिला

झारखण्ड



सत्यमेव जयते

गजट

सरकार

द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 04

रामगढ़ दिन : सोमवार
दिनांक 04.01.2016

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

अधिघोषणा

विषय सूची
अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

प्रपत्र VII
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 793/भू0अ0.

रामगढ़, दिनांक 29/12/2015

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा गोला चारु पथ के निमित्त 1.20 में पतासुरी नाला पर उच्च स्तरीय पूल निर्माण हेतु ग्राम गोला, थाना गोला, थाना सं0 26, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में कुल 0.14 एकड़ यानि 0.05668 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.14 एकड़ यानि 0.05668 हेक्टेयर है, और जो ग्राम गोला, थाना गोला, थाना सं0 26, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	229	140 अंश	रैयती	कृषि	0.14	दिलीप कुमार मिश्र पिता स्व0 रामप्रसाद मिश्र	सडक	141	142	140
कुल रकबा					0.14					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है।

ह0/-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़।

ह0/-
अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

ह0/-
उपायुक्त,
रामगढ़।